भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1500
उत्तर देने की तारीख 4 दिसम्बर, 2024

भारत नेट परियोजना की प्रगति

1500. श्री मलैयारासन डी.:
श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषकर तमिलनाडु में भारत नेट परियोजना की विशेषताएं क्या हैं और इसके अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई;
(ख) तमिलनाडु में भारत नेट परियोजना के अंतर्गत आज तक कितने गांवों को ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ा गया है;
(ग) क्या सरकार के पास तमिलनाडु के भीतर उन गांवों के आंकड़े हैं जो अभी भी इस सुविधा से नहीं जुड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा इन गांवों को इस योजना के अंतर्गत शीघ्र शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ङ) इस परियोजना के अंतर्गत शेष गांवों को सड़क से जोड़ने की अनुमानित समय-सीमा क्या है; और
(च) भारत नेट के अंतर्गत फाइबर केबल के लिए निर्धारित मानकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित अवसंरचना एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति है जो सेवा प्रदाताओं के लिए गैर-भेदभावपूर्ण आधार

पर सुलभ है और इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन, लीज्ड लाइन, डार्क फाइबर, मोबाइल टावरों के लिए बैकहॉल आदि जैसी ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किया जा सकता है।

देश में भारतनेट के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में राज्य-वार और वर्ष-वार आवंटित की गई धनराशि संबंधी विवरण डिजिटल भारत निधि की वेबसाइट (https://usof.gov.in/) पर उपलब्ध है।

(ख) से (ङ) तमिलनाडु में राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के तहत इस परियोजना का कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव तथा उपयोग राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य की सभी 12,525 ग्राम पंचायतें चल रही परियोजना के कार्यक्षेत्र में हैं। तमिलनाडु में अब तक 10,295 ग्राम पंचायतें सेवा हेतु तैयार हैं।

सरकार ने भारतनेट के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन और मांग के आधार पर शेष गैर-ग्राम पंचायत गांवों (लगभग 3.8 लाख) में कनेक्टिविटी सहित देश की सभी ग्राम पंचायतों को शामिल करने हेतु अगस्त 2023 में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंजूरी दी है। तमिलनाडु में शेष 4,767 (लगभग) गैर-ग्राम पंचायत गांवों को मांग के आधार पर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना एबीपी के कार्यक्षेत्र में है। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत निर्माण चरण को पूर्ण करने की समय सीमा संविदा अधिनिर्णीत किए जाने से तीन वर्ष है।

(च) भारतनेट परियोजना के अंतर्गत बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र - सामान्य अपेक्षा (टीईसी-जीआर) मानकों के अनुसार तकनीकी विनिर्देशों का पालन किया जाता है।

*****